



आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल



क्रमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2023/ 889 A

भोपाल, दिनांक 6/6/2023

सूचना

विषय:- क्लेम एडजूडीकेशन कमेटी द्वारा सिर्फ 90 दिवस के अन्दर रिजेक्ट हुये प्रकरणों का परीक्षण किये जाने के संबंध में सूचना।

दिनांक 19 मई 2023 को आयोजित राज्य कार्यकारी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों को जिन्हें भुगतान हेतु रिजेक्ट किया गया है, को रिजेक्ट किये जाने की दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अन्दर ही सी.ए.सी. के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु योजनान्तर्गत सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार किया जा सकेगा।

(राज्य कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित)

महाप्रबंधक (ऑपरेशन)
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.
भोपाल, दिनांक 6/6/2023

क्रमांक /एस.एच.ए./ए.बी./2023/ 889 B
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
4. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
5. महाप्रबंधक (विधि), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
6. उप संचालक (आई.टी.), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
7. संभागीय चिकित्सा अधिकारी, (समस्त) आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।

महाप्रबंधक (ऑपरेशन)
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.